कार्यालय–उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)
दूरभाष संख्या 9837046192
Website: www.ucdfaanchal.com

''मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना'' आंगनबाड़ी (आई.सी.डी.एस.) एवं विद्यालयी शिक्षा (पी0एम0पोषण) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के दुग्ध संघों को उत्पादन इकाई आंचल डेरी परिसर, देहरादून एवं पशुआहार निर्माणशाला रूद्रपुर प्लांट में निर्मित फोर्टिफाइड मीठा सुगंधित दुग्ध चूर्ण परिवहन हेतु वार्षिक दर अनुबन्ध निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र का मूल्य–590.00 (जी0एस0टी0 सहित)
निविदा सूचना संख्या– 27(1–2)/यू0सी0डी0एफ0/2025–26, दिनांक 29.11.2025

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी

निविदा सूचना संख्या–27(1–2)/यूसीडीएफ/2025–26, दिनांक 29.11.2025

निम्नलिखित कार्यों हेतु टू–बिड सिस्टम के अन्तर्गत दिनांक 15.12.2025 को अपरान्ह् 5:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 16.12.2025 की प्रातः 11:00 बजे खोला जायेगा–

कार्य का विवरण	टिप्पणी
1–आंचल अमृत योजना प्लांट रूद्रपुर एवं देहरादून से प्रदेश के समस्त दुग्ध संघों में दुग्ध चूर्ण के परिवहन हेतु वार्षिक दर अनुबन्ध	विस्तृत मैनुअल निविदा प्रपत्र यूसीडीएफ से प्राप्त या वेबसाइट www.ucdfaanchal.com से डाउनलोड किया जा सकता है।
2- Empanelment for conversion of Liquid Milk to skimmed Milk Powder & White Butter at Annual Rate Contract Basis.	ई–निविदा प्रपत्र ई–निविदा पोर्टल http://www.uktenders.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रशासक **सामान्य प्रबंधक (प्रशा0)**

SIZE-32Sq.cm

कार्यालय–उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)

मुख्यमंत्री ''आंचल अमृत योजना'' के (आंगनबाड़ी एवं विद्यालयी शिक्षा, पी0एम0पोषण) योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के दुग्ध संघों को आंचल डेरी परिसर, देहरादून एवं पशुआहार निर्माणशाला, रूद्रपुर प्लांट (उत्तराखण्ड) में निर्मित फोर्टिफाइड मीठा सुगंधित दुग्ध चूर्ण परिवहन हेतु निविदा फार्म (शर्तों सहित)

1. नाम– निविदादाता..
2. पिता / पति का नाम..
3. स्थाई पता...
   ....
4. पत्र व्यवहार का पत्रा..
   ....
   ....
5. फोन / दूरभाष संख्या...मोबाईल नम्बर................................
6. वाहनों का प्रकार... एवं उनकी भार क्षमता.................................
7. निविदा प्रपत्र मूल्य धनराशि.............................दिनांक ....रसीद संख्या...........
   बैक ड्राफ्ट संख्या...........................दिनांक.......................धनराशि.....................बैंक का नाम..
   ....
8. अर्नेस्ट मनी का विवरणः–(क) बैक ड्राफ्ट संख्या.......................दिनांक..................धनराशि...
   बैंक का नाम..
   (ख) नकद रसीद संख्या.........................दिनांक ....धनराशि................................
9. निविदादाता निम्न प्रपत्रों की स्वं प्रमाणित छायाप्रति तकनीकी बिड लिफाफे में रखे।
   क. परिवहनकर्ता का जी0एस0टी0 नम्बर हेतु प्रमाण पत्र..
   ख. फर्म / निविदादाता का पैन कार्ड ....
   ग. निविदादाता का स्थायी पता (आधार कार्ड नम्बर / मतदाता पहचान पत्र)....................
   घ. वाहनों के रजिस्ट्रेशन (प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रति)...
   ड. निविदा मूल्य की जमा रसीद / बैक ड्राफ्ट की मूलप्रति
   च. धरोहर धनराशि जमा करने संबंधी संस्था की रसीद की मूलप्रति / बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति

हस्ताक्षर

नाम परिवहनकर्ता...
स्थायी पता...
....
मोबाईल नम्बर..

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)

नियम एवं शर्ते

आंगनबाड़ी एवं विद्यालयी शिक्षा (पी0एम0पोषण) योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के दुग्ध संघों को उत्पादन इकाई आंचल डेरी परिसर, देहरादून एवं पशुआहार निर्माणशाला, रूद्रपुर प्लांट में निर्मित फोर्टिफाइड मीठा सुंगधित दुग्ध चूर्ण के, परिवहन व्यवस्था हेतु वार्षिक दर अनुबन्ध निविदा

1. निविदा फार्म यू0सी0डी0एफ0 लि0, हल्द्वानी की वेब साईट www.ucdfaanchal.com से डाउनलोड करके अथवा कार्यालय से निविदा शुल्क देकर दिनांक 30.11.2024 से प्राप्त किये जा सकते है। वैबसाइट से डाउनलोड निविदा प्रपत्र के साथ रू0 590.00 (पांच सौ नब्बे मात्र) जी0एस0टी0 सहित नकद, बैंक ड्राफ्ट एवं निविदा शर्तों के अनुसार धरोहर राशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल) के नाम देय हो, मूलरूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 590.00 (रूपये पांच सौ मात्र) जी0एस0टी0 सहित होगा, जिसे वापस नहीं किया जायेगा। फार्म के साथ रू0 15000.00/की अर्नेस्ट मनी जो नकद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा कार्यालय में जमा करनी होगी और उसकी प्राप्ति रसीद की छायाप्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
3. निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाता के नाम पर रजिस्टर्ड वाहनों **(कम से कम चार वाहन)** के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा विचारणीय नहीं होगी।
4. फर्म द्वारा विभिन्न भार क्षमता के वाहन जो संस्था में कार्य हेतु भेजे जाने वाले होंगे के, वाहन तिरपाल आदि से पूर्णतयाः कवर होने अनिवार्य होंगे।
5. निविदा फार्म स्वीकृत होने के उपरान्त न्यूनतम् दरदाता फर्म द्वारा निर्धारित तिथि के अन्दर अनुबन्ध नही करता है अथवा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तब ऐसी दशा में अर्नेस्ट मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित निविदादाता/ट्रांसपोर्टर को जमानत के रूप में रू0 10,000/00 (रूपये दस हजार मात्र) प्रति जनपद की दर से जमानत राशि नकद अथवा एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगलपड़ाव हल्द्वानी (नैनीताल), के नाम जमा करनी होगी।
7. निविदायें दिनांक 15.12.2025 को अपरान्ह् 05:00 बजे तक यू0सी0डी0एफ0 लि0 कार्यालय में रखी सील्ड निविदा बाक्स में डाली जायेगी। उक्त निर्धारित समय के पश्चात निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नही की जायेगी।
8. निविदाये दिनांक 16.12.2025 को प्रातः 11:00 बजे उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, हल्द्वानी (नैनीताल) कार्यालय में गठित सदस्यों एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी ।
9. किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, यू0सी0डी0एफ0 लि0 के पास सुरक्षित होगा।
10. अगर किसी कारणवश अनुबन्ध होने के पश्चात अनुबन्ध अवधि के दौरान स्वीकृत फर्म द्वारा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तब ऐसी दशा में सम्बन्धित फर्म द्वारा जमा की गई जमानत धनराशि मु0 10,000/00 (रूपये दस हजार मात्र) प्रति जनपद की दर से जब्त कर ली जायेगी।
11. मार्ग पर पडने वाले टोल टैक्स आदि भुगतान फर्म को स्वयं करना होगा ।

कमशः2

12. फर्म प्रत्येक बिल का भुगतान सम्बन्धित जनपद को सामाग्री उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त वहां से उस सामाग्री की प्राप्ति प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जाएगा। प्राप्ति प्रपत्र प्राप्त न होने की दशा में बिल भुगतान हेतु विचारणीय नही होगा। इसके अतिरिक्त फर्म द्वारा संस्था को नियमानुसार धारित जी0एस0टी0 सहित बिल देना अनिवार्य होगा।
13. दुग्ध चूर्ण परिवहन के दौरान अन्य सामग्री का ढुलान किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
14. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात अनुबन्ध एक वर्ष की अवधि तक के लिए किया जाएगा, जिसे संस्था की आवश्यकतानुसार दोनों पक्षों की सहमति पर तीन–तीन माह की अवधि के लिए आगे दो बार बढ़ाया जा सकता है।
15. अप्लाइड (ए0/फॉर) वाहन की निविदा मान्य नहीं होगी। निविदादाता के पास कम से कम चार वाहन होने आवश्यक है, जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया हो, वही मान्य होंगे।
16. निविदादाता द्वारा परिवहन की दरें गंतब्य स्थानवार प्रति टन के हिसाब से दी जायेंगी चाहे मात्रा कितनी कम या अधिक क्यों न हो, परिवहनकर्ता वाहन की स्वीकृति क्षमता के आधार पर ही परिवहन करेगा, जिसके लिए वह स्वंय जिम्मेदार होगा।
17. संस्था द्वारा सम्बन्धित ट्रांसपोर्टर को वाहन की आवश्यकता पड़ने पर दूरभाष से अथवा लिखित में वाहन उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया जायेगा। सूचना के 24 घन्टे के अन्दर संस्था को वाहन उपलब्ध कराना सम्बन्धित ट्रांसपोर्टर के लिए अनिवार्य होगा। सूचना के निर्धारित अवधि तक ही सम्बन्धित ट्रांसपोर्टर द्वारा वाहन उपलब्ध न कराये जाने पर इस संस्था द्वारा वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी एवं ऐसी स्थिति में इस संस्था को निर्धारित दरों से अधिक व्यय करना पड़ता है, तो अधिक व्यय की धनराशि को सम्बन्धित ट्रांसपोर्टर के लम्बित बिलों अथवा जमानत धनराशि से समायोजित कर ली जायेगी।
18. निविदा खुलते समय मात्र निविदादाता या उसका एक अधिकृत प्रतिनिधि ही उपस्थित रहेगा। अधिकृत प्रतिनिधि की दशा में प्रतिनिधि के पास प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
19. निविदादाता के पास स्वयं का वाहन होना आवश्यक है। प्रमाण हेतु वाहन के पंजीयन की छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करे या फर्म (ट्रान्सपोर्टर) पंजीकृत हो, जिसका प्रमाण निविदा में संलग्न होना चाहिए।
20. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर माल के खराब होने की स्थिति में क्षति हुए माल की प्रतिपूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा।
21. गंतव्य स्थान तक माल को सुरक्षित पहुंचाने की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित परिवहनकर्त्ता की होगी। किसी भी कारणों से माल के खराब होने की स्थिति में हुई क्षति का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित परिवहनकर्ता का होगा। चालक/परिचालक द्वारा माल की लोडिंग/अनलोडिंग अपने सामने करवायी जायेगी एवं माल की प्राप्ति दी जानी अनिवार्य होगी। किसी कारणवश सम्बन्धित संस्था तक माल पूरा नहीं पहुंचता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित परिवहनकर्त्ता की होगी।
22. निविदा दो निविदा प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय निविदा) से होगी । पहली तकनीकी निविदा में प्रपत्र भरकर सील किया जाना है तथा दूसरी वित्तीय निविदा में संलग्न प्रारूप पर जनपदवार दरें दी जाएगी। तकनीकी निविदा पूर्ण होने के उपरान्त ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी। स्पष्टतः तकनीकी निविदा में असफल होने पर निविदादाता निविदा प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा।
23. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उसका निस्तारण निबन्धक/निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा किया जाएगा तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा न्याय क्षेत्र हल्द्वानी होगा ।

****

वित्तीय बिड

''मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना'' आंगनबाड़ी (आई.सी.डी.एस.) एवं विद्यालयी शिक्षा (पी0एम0पोषण) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के दुग्ध संघों को उत्पादन इकाई आंचल डेरी परिसर, देहरादून एवं पशुआहार निर्माणशाला, रूद्रपुर प्लांट में निर्मित फोर्टिफाइड मीठा सुगंधित दुग्ध चूर्ण परिवहन हेतु मॉग दरों का विवरण (मै0टन में)

(आचंल डेरी परिससर, देहरादून) से–

क. सं.	**विभिन्न** दुग्ध संघों हेतु आपूर्ति किए जाने वाले सुगंधित दुग्ध चूर्ण हेतु मॉग दर (मै0टन में)												
	दे0दून	हरिद्वार	टिहरी	पौड़ी	रूद्रप्रयाग	उत्तर काशी	अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	चमोली	यू.एस. नगर	नैनीताल	पिथौरागढ़
1													

(पशुआहार निर्माणशाला, रूद्रपुर प्लांट) से–

क. सं.	**विभिन्न** दुग्ध संघों हेतु आपूर्ति किए जाने वाले सुगंधित दुग्ध चूर्ण हेतु मॉग दर (मै0टन में)												
	दे0दून	हरिद्वार	टिहरी	पौड़ी	रूद्रप्रयाग	उत्तर काशी	अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	चमोली	यू.एस. नगर	नैनीताल	पिथौरागढ़
1													

- **आंचल डेरी परिसर, देहरादून एवं पशुआहार निर्माणशाला, रूद्रपुर में निर्मित दुग्ध चूर्ण की आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में की जायेगी।**
- **उक्त दरें मै0टन के आधार पर अंकित की जायेंगी।**
- **दुग्ध चूर्ण परिवहन के दौरान अन्य सामग्री का ढुलान किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।**
- **निविदादाता द्वारा परिवहन की दरें गंतब्य स्थानवार प्रति टन के हिसाब से दी जायेंगी चाहे मात्रा कितनी कम या अधिक क्यों न हो, परिवहनकर्ता वाहन की स्वीकृति क्षमता के आधार पर ही परिवहन करेगा, जिसके लिए वह स्वंय जिम्मेदार होगा।**

****